खाद्यान्नों मदों में नाशी जीव

319. **श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "भोजन में कीशनाशकों की बढ़ती मात्रा अब लोगों के लिए भी जानलेवा" शीर्षक से 15-1-99 को दैनिक जागरण में छपी खबर के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई छानबीन की हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल) : (क) से (ग) यह समाचार दिल्ली और राजस्थान की सात भैसों और मथुरा के एक सूअर के शवों की टांगों की मांसपेशियों का विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली (एक गैर सरकारी संगठन) द्वारा आई टी कानपुर में कराए गए विश्लेषण से संबंधित है। विश्लेषण के परिणामों में डी डी टी और बी एच सी विद्यमान पाए गए हैं।

सरकार को मानव को कीटनाशक अवशिष्टों से होने वाले जोखिम की जानकारी है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (स्वस्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू) के अंतर्गत निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में अवशिष्टों के पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती हैं। उल्लिखित समाचार में ऐसा कोई मामला नहीं हैं। तथापि, सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(1) जन सेवा कार्यक्रम के लिए सीमित उपयोग के अलावा कृषि में डी डी टी के प्रयोग से मई, 1989 से रोक लगा दी है।

(2) अप्रैल, 1997 से बी एच सी के प्रतिपादनों के प्रयोग पर रोक हैं।

(3) कृषि में रासायनिक कृमिनाशियों के प्रयोग की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए एकीकृत कृमि प्रबन्ध और पारिस्थितिकी के अनुकूल प्रोद्योगिकी का प्रचार-प्रसार पौध रक्षण के प्रमुख सिद्वांत रहा हैं।

दालों की कीमतें

320. **श्री ईश दत्त यादव** :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी हैं कि बाजार में दालें उनके समर्थन मूल्य से तीन गुना अधिक दाम पर बेची जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों को 200 प्रतिशत का फायदा देने के क्या कारण हैं; और

(ग) किसानों को कम समर्थन मूल्य दिये जाने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्यय मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) दालों के मूल्य मुख्य रूप में मांग और आपूर्ति के बीच अंतर के कारण न्यूनतम समर्थन मूल्यों की तुलना में सामान्यत: अधिक हैं।

(ग) सरकार प्रत्येक मौसम में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों कि दृष्टिकोण तथा ऐसे अन्य प्रांसगिक कारकों के आधार पर जो सरकार के विचार में मूल्यों के निर्धारण के लिये महत्वपूर्ण हैं, दालों (अरहर, मूंग, उड़द तथा चना) सहित प्रमुख कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती हैं।

मूल्य नीति संबंधी अपनी सिफारिशों का निरूपण करते समय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग सभी महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, जैसे- उत्पादन की लागत, आदान मूल्यों में परिवर्तन, आदान/परिणामों मूल्य समानता, मण्डी मूल्यों की प्रवृत्ति, मांग और आपूर्ति की स्थिति, अन्त: फसल मूल्य समानता, औद्योगिकी लागत व्यवस्था पर प्रभाव, सामान्य मूल्य स्तर पर प्रभाव, रहन-सहन की लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य की स्थिति, तथा व्यापार की शर्तें। इस प्रकार न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करने में बाजार मूल्यों की प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाता हैं।

बागवानी के कार्यक्रम

321. **श्रीमती मालती शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र विशेषकर पौड़ी, टिहरी तथा चमोली जनपदों